अध्याय –II
रेल सेवकों को साधारणतया लागू होने वाले नियम

2.01 नियमों की प्रति देनाः– रेल प्रशासन

(क) (i) प्रत्येक स्टेशन को,

(ii) प्रत्येक इंजन शेड को, तथा

(iii) ऐसे अन्य कार्यालयों को, जो वह निर्धारित करे, नियमों की एक प्रति देगा।

(ख) प्रत्येक रेल सेवकों को, जिसे उक्त नियमों द्वारा कोई निश्चित जिम्मेंदारी सौंपी गई है, इन नियमों या नियमों के, उसके कार्य से सम्बन्धित भाग की एक प्रति देगा, तथा

(ग) किसी रेल सेवक को इन नियमों की या उक्त नियमों या उसके कर्तव्यों से यथा सम्बन्धित उसके ऐसे भागों के अनुवाद की एक प्रति देगा जो विशेष अनुदेशों द्वारा विहित किये जाऐं।

स0नि0 2.01ः सामान्य नियम 2.01 के तहत रेल प्रशासन द्वारा आपूर्ति करने वाले नियमों की प्रतिलिपि दस्तावेजों अथवा तत्संबंधी संगत उद्धरणों की हार्ड अथवा इलेक्ट्रानिक/साफ्ट कापी के रूप में होगी।

2.02 नियमों की प्रति की देखभाल– प्रत्येक रेल सेवक, जिसे नियम 2.01 के अधीन यथा विहित इन नियमो की प्रति दी गई हैः–

(क) उसमें सभी शुद्धिपत्र समाविष्ट करता रहेगा,

(ख) अपने किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की मांग पर उसे प्रस्तुत करेगा,

(ग) प्रति खो जाने या खराब हो जाने पर अपने वरिष्ठ अधिकारी से एक नई प्रति प्राप्त करेगा, तथा

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन कर्मचारियों को सभी शुद्धिपत्र मिल गये हैं और वे भी इस नियम के उपबन्धों का पालन कर रहे हैं।

2.03 नियमों की जानकारीः– प्रत्येक रेल सेवक –

(क) अपनी ड्यूटी से सम्बन्धित नियमों से परिचित रहेगा, चाहे उसे नियमों की प्रति या उसकी ड्यूटी से सम्बन्धित नियमों का अनुवाद दिया गया है अथवा नहीं, तथा रेल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि वह ऐसा कर रहा है।

(ख) यदि कोई परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं तो वह उन्हें पास करेगा।

(ग) स्वयं को आश्वस्त करेगा कि उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों ने खण्ड़ (क) और (ख) का अनुपालन किया है, और

(घ) यदि आवश्यक है तो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को वे नियम समझायेगा जो उन्हें लागू होते हैं

2.04 नियम पालन करने में सहयोगः– प्रत्येक रेल सेवक इन नियमों के पालन में सहयोग देगा और यदि उसे इन नियमों के किसी भंग का पता चलता है तो वह तुरन्त इसकी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी को करेगा।

2.05 अतिचार, नुकसान या हानि की रोकथामः–

(1) प्रत्येक रेल सेवक, रेल प्रशासन की ऐसी सभी सम्पत्ति की सुरक्षा और रक्षा के लिए जिम्मेंदार है जो उसके भारसाधन (चार्ज) में है,

(2) प्रत्येक रेल सेवक निम्नलिखित बातों को रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा, अर्थात :–

(क) रेल परिसरों में अतिचार (ट्रेस पासिंग)

CHAPTER II
RULES APPLYING TO RAILWAY SERVANTS GENERALLY

2.01. Supply of copies of rules - The Railway Administration shall supply -

(a) A copy of these Rules -

(i) to each station.

(ii) to each locomotive running shed, and

(iii) to such other offices as it may prescribe.

(b) to each railway servant on whom any definite responsibility is placed by the said rules, a copy of the rules or of such portions thereof as relate to his duties, and

(c) to any railway servant a copy of these rules or translation of the said rules or of such portions, thereof as relate to his duties , as may be prescribed by Special Instructions.

SR 2.01: The copy of Rules to be supplied by Railway Administration under G.R. 2.01 may be hard copy or electronic copy of the document or relevant extracts thereof.

2.02. Upkeep of the copy of Rules: - Upkeep of the copy of Rules:- Each railway servant, who has been supplied with a copy of these Rules, as prescribed under rule 2.01 shall -

(a) keep it posted with all corrections.

(b) produce the same on demand by any of his superiors.

(c) obtain a new copy from his superior in case his copy is lost or defaced, and

(d) ensure that the staff working under him are supplied with all corrections and that they also comply with the provisions of this rule.

2.03 Knowledge of rule: - Every railway servant shall: -

(a) be conversant with the Rules relating to his duties whether supplied or not with a copy or translation of the Rules relating to his duties and the Railway Administration shall ensure that he does so.

(b) pass the prescribed examination, if any.

(c) Satisfy himself that the staff working under him have complied with clauses (a) and (b), and

(d) if necessary, explain to the staff working under him, the Rules so far as these apply to them.

2.04. Assistance in observance of Rules: - Every railway servant shall render assistance in carrying out these Rules and report promptly any breach thereof, which may come to his notice, to his superior officer and other authorities concerned.

2.05. Prevention of trespass, damage or loss -

(1) Every railway servant is responsible for the security and protection of the property of the Railway Administration under his charge.

(2) Every railway servant shall endeavor to prevent -

(a) trespass on railway premises.

(ख) रेल सम्पत्ति की चोरी, नुकसान या हानि,

(ग) स्वयं या अन्य लोगों को क्षति, और

(घ) रेल परिसरों में आग लगना।

2.06 नियमों और आदेशों का पालनः– प्रत्येक रेल सेवक निम्नलिखित का तत्परता से पालन करेगा अर्थात :–

(क) सभी नियमों और विशेष अनुदेशों का, तथा

(ख) अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी विधि–संगत आदेशों का।

2.07 ड्यूटी पर उपस्थितिः– प्रत्येक रेल सेवक ऐसे समय और स्थान पर तथा उतनी अवधि के लिए ड्यूटी पर उपस्थित रहेगा, जो इस बारे में रेल प्रशासन निश्चित करे और यदि किसी अन्य समय और स्थान पर उसकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो वहां भी उपस्थित होगा।

2.08 ड्यूटी से अनुपस्थितिः–

(1) कोई रेल सेवक अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा, अपनी उपस्थिति के लिए नियत घंटों में परिवर्तन नहीं करेगा या किसी अन्य रेल सेवक से अपनी ड्यूटी नहीं बदलेगा या जब तक उसे समुचित रूप से मुक्त नहीं कर दिया जाता तब तक वह अपनी ड्यूटी का भारसाधन (चार्ज) नहीं छोड़ेगा।

(2) यदि ड्यूटी करता हुआ कोई रेल सेवक बीमारी के आधार पर ड्यूटी से अनुपस्थित होना चाहता है तो वह तुरन्त इसकी रिर्पोट अपने वरिष्ठ अधिकारी को करेगा और तब तक अपनी ड्यूटी से नहीं हटेगा जब तक कि उस काम पर किसी सक्षम रेल सेवक को नहीं लगा दिया जाता।

2.09 मदिरा तथा अन्य नशीली, पीनक, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन :–

(1) ड्यटी पर तैनात कोई भी रेल सेवक चाहे वह गाड़ी के संचालन से सीधा सम्बन्धित है या नहीं, नशे की अवस्था में या किसी ऐसी दशा में नहीं होगा जो कि किसी प्रकार की मदिरा तथा अन्य नशीली, पीनक, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं के सेवन से ड्यटी देने की उसकी क्षमता क्षीण हो जाती है,

(2) गाड़ी के संचालन से सीधा सम्बद्ध कोई भी रेल सेवक, अपनी ड्यटी आरम्भ करने से आठ घंटे के भीतर कोई मदिरा तथा अन्य नशीली, पीनक, बेहोशी, नींद लाने वाली उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुएं नहीं लेगा या उनका प्रयोग नहीं करेगा या ड्यूटी पर ऐसे किसी पेय औषधि या उनसे बनी वस्तु का सेवन नहीं करेगा।

स. नि. 2.09 (i) जब कोई रेल कर्मचारी नशे में हो या नशे में मालूम पड़ता हो तो डॉक्टर से शीघ्रातिशीघ्र परीक्षण कराना चाहिये तथा यदि सम्भव हो तो दो स्वतंत्र गवाह से लिखित साक्ष्य भी प्राप्त कर लेना चाहिए।

2.10 रेल सेवकों का आचरणः– प्रत्येक रेल सेवक –

(क) ड्यूटी के समय बिल्ला या वर्दी, यदि निर्धारित की गई है, पहनेगा और देखने में साफ–सुथरा रहेगा,

(ख) चुस्त, सभ्य और शिष्ट रहेगा,

(ग) अवैध पारितोषिक न तो मांगेगा और न स्वीकार करेगा,

(घ) जनता को हर प्रकार की उचित सहायता देगा और सही जानकारी देने में पूरी सावधानी बरतेगा, तथा

(ड़) पूछे जाने पर बेहिचक अपना नाम और पदनाम बताएगा।

2.11 संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्त्तव्य :–

(1) प्रत्येक रेल सेवक :–

(b) theft, damage or loss of railway property.

(c) injury to himself and others, and

(d) fire in railway premises.

2.06. Obedience to Rules and orders: - Every railway servant shall promptly observe and obey -

(a) all Rules and special instructions, and

(b) all lawful orders given by his superiors.

2.07. Attendance for duty: - Every railway servant shall be in attendance for duty at such times and places and for such periods as may be fixed in this behalf by the railway administration and shall also attend at any other time and place at which his services may be required.

2.08. Absence from duty: -

(1) No railway servant shall, without the permission of his superior, absent himself from duty or alter his appointed hours of attendance or exchange duty with any other railway servant or leave his charge of duty unless properly relieved.

(2) If any railway servant while on duty desires to absent himself from duty on the ground of illness, he shall immediately report the matter to his superior and shall not leave his duty until a competent railway servant has been placed in charge thereof.

2.09. Taking alcoholic drink, sedative, narcotic, stimulant drug or preparation:-

(1) While on duty, no railway servant shall, whether he is directly connected with the working of trains or not, be in a state of intoxication or in a state in which, by reason of his having taken or used any alcoholic drink, sedative, narcotic or stimulant drug or preparation, his capacity to perform his duties is impaired.

(2) No railway servant, directly connected with the working of trains, shall take or use any alcoholic drink, sedative, narcotic or stimulant drug or preparation within eight hours before the commencement of his duty or take or use any such drink, drug or preparation on duty.

S.R. 2.09 (i)When a case of intoxication or what appears to be intoxication is noticed, a medical report should, if possible, be obtained at once, and also the evidence of two independent witnesses.

2.10. Conduct of railway servants:- A railway servant shall -

(a) wear the badge and uniform, if prescribed, and be neat and tidy in his appearance while on duty,

(b) be prompt, civil and courteous,

(c) not solicit or accept illegal gratification,

(d) give all reasonable assistance and be careful to give correct information to the public, and

(e) When asked, give his name and designation without hesitation.

2.11. Duty for securing safety :-

(1) Every railway servant shall: -

(क) जनता की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा,

(ख) ऐसी हर घटना की, जिसका उसे पता लगे और जिससे रेल के सुरक्षित या उचित कार्य चालन पर असर पड़ता है, रिर्पोट तुरन्त अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा, और

(ग) दुर्घटना अथवा अवरोध उत्पन्न होने पर तथा मांग की जाने पर सभी संभव सहायता देगा।

(2) यदि कोई रेल सेवक यह देखता है कि :–

(क) कोई सिगनल खराब है,

(ख) रेल पथ अथवा निर्माण के किसी भाग में कोई अवरोध या खराबी है या उसकी संभावना है,

(ग) गाड़ी में कोई खराबी है, अथवा

(घ) कोई ऐसी असाधारण परिस्थितियां हैं जिनके कारण गाड़ियों के निरापद परिचालन में अथवा जनता की संरक्षा में, कोई बाधा पड़ने की संभावना है,

तो वह दुर्घटना रोकने के लिए उस परिस्थिति में तत्काल आवश्यक सभी कार्रवाई करेगा और यदि आवश्यक है तो यथा संभव शीघ्र साधनों द्वारा सबसे समीप के स्टेशन मास्टर को उसकी सूचना देगा।

परन्तु यदि गाड़ी विभाजित हो गई हो तो वह रोक (स्टाप) हैंड सिगनल नहीं दिखायेगा बल्कि चिल्लाकर, संकेत करके या दूसरे तरीकों से लोको पायलट या गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करेगा।

स. नि. 2.11 (1) तूफान और तेज हवा के दौरान गाड़ी संचालन के लिये किये जाने वाले पूर्वोपायः–

(i) जब मौसम विज्ञान विभाग से चक्रवात, तूफान अथवा तेज हवा की पूर्व सूचना देते हुए चेतावनी संदेश प्राप्त हुआ हो और/अथवा यह यथोचित आशंका हो कि तेज तूफान आने वाला है जिससे यात्रियों, गाड़ी आदि की संरक्षा को खतरा है, स्टेशन मास्टर जब तक तूफान शांत न हो जाये और वह गाड़ियों के संचलन को निरापद न समझे, गाड़ी के गार्ड और लोको पायलट से परामर्श करके गाड़ी रोक देगा और उसके स्टेशन पर आनेवाली किसी गाड़ी को लाइन क्लीयर देने से भी इंकार कर देगा।

(ii) यदि कोई गाड़ी चलते हुए किसी चक्रवात, तूफान या तेज हवा में फंस जाये और जिससे लोको पायलट की राय में गाड़ी की संरक्षा को खतरा हो सकता है, वह तत्काल अपनी गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा और जहाँ तक संभव हो यह ध्यान में रखते हुए कि तीव्र मोड़ों, ऊंचे तटबंधों और पुलों (उनके पहुंच मार्गों सहित) पर गाड़ी न रोकी जाय, प्रथम सुविधाजनक स्थान पर उसे रोक देगा। गाड़ी की गति को नियंत्रित कर रोकते समय लोको पायलट सावधानी पूर्वक बिना झटका के गाड़ी को रोकेगा। वह गाड़ी को गार्ड के परामर्श से दोबारा तभी चलायेगा, जब चक्रवात, तूफान अथवा तेज हवा कम हो गयी हो और आगे बढ़ना निरापद समझा जाय।

(iii) गाड़ी के गार्ड और लोको पायलट गाड़ी में यात्रा करने वाले रेल कर्मचारियों के सहयोग से यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि यात्रियों द्वारा सवारी डिब्बों के दरवाजे और खिड़कियाँ खुले रखे गये हैं, जिससे हवा सवारी के डिब्बों के आर–पार बेरोक टोक बह सके।

(2) पवनमापीः– असुरक्षित स्थानों और विशेष रूप में चुने गये पुलों जहाँ पुलों के निकटवर्ती स्टेशनों में से एक पर पवनमापी प्रतिस्थापित किये गये हों, के मामले में, यदि पवनमापी विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित हवा के वेग को खतरे के स्तर से अधिक इंगित करता है तो स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्रवाई करेगा :–

(i) स्टेशन मास्टर सेक्शन नियंत्रक और दूसरी तरफ के स्टेशन मास्टर को गाड़ियों के संचालन को नियंत्रित करने की आवश्यकता के विषय में तत्काल सूचना देगा।

(ii) स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन से गाड़ी शुरू करने अथवा वहाँ से होकर जाने वाली गाड़ियों के संचालन की अनुमति नहीं देगा तथा उसके स्टेशन पर आने के लिए निकटवर्ती स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाड़ियों को भी लाइन क्लीयर नहीं देगा।

(a) see that every exertion is made for ensuring the safety of the public.

(b) promptly report to his superior any occurrence affecting the safe or proper working of the railway which may come to his notice, and

(c) render on demand all possible assistance in the case of an accident or obstruction.

(2) Every railway servant who observes -

(a) that any signal is defective,

(b) any obstruction, failure or threatened failure of any part of the way or works,

(c) anything wrong with a train, or

(d) any unusual circumstances likely to interfere with the safe running of trains, or the safety of the public shall,

Take immediate steps, such as the circumstances of the case may demand, to prevent accident; and where necessary, advise the nearest Station Master by the Quickest possible means;

Provided that in the case of a train having parted, he shall not show a Stop hand signal but shall endeavor to attract the attention of the Loco Pilot or Guard shouting, gesticulating or other means.

S.R. 2.11(1) - Precaution to be taken for working of trains during storm and strong wind.

(i) When the warning message forecasting cyclone, storm or strong wind has been received from the Meteorological Department and/or there is a reasonable doubt that severe storm is going to break-out endangering the safety of passengers, trains, etc. the Station Master shall, in consultation with the Guard and the Loco Pilot of the Train, detain the train and also refuse to grant line clear to a train coming to his station until storm abates and he considers movements of trains safe.

(ii) Should a train be caught on the run in cyclone, storm or strong wind of an intensity which, in the opinion of the Loco Pilot, is likely to endanger the safety of the train, he shall immediately control the speed of his train and bring it to a stop at the first convenient place taking care as far as possible to avoid stoppage of the train at places like sharp curves, high embankments and bridges (including approaches thereof). In controlling the speed and bringing the train to a halt, the Loco Pilot shall stop his train carefully and without a jerk. He shall restart the train in consultation with the Guard only after the cyclone, storm or strong wind abates and it is considered safe to proceed.

(iii) The Guard and the Loco Pilot of the train in cooperation with the railway staff travelling in the train shall try to see that doors and windows of the coaches are kept open by the passengers to allow free passage of the wind through the coaches.

(2) Anemometers:– In case of vulnerable locations and specially selected bridges where anemometers are installed at one of the stations adjacent to bridges, the Station Master shall take the following action if the anemometer is indicating wind velocity higher than the danger level as prescribed by Special instructions:-

(i) Station Master shall inform the section Controller and the Station Master of the other side immediately about the need to control the movement of trains.

(ii) The Station Master shall not start or allow the movement of trains through his station and also not grant line clear to the trains waiting at the adjacent station for his station.

(iii) वह विशष अनुदेशों द्वारा यथा निर्धारित, हवा का वेग फिर से खतरे की सीमा से कम हो जाने के पश्चात सेक्शन नियंत्रक और निकटवर्ती स्टेशन के स्टेशन मास्टर के परामर्श से गाड़ियों के सामान्य संचालन को पुनः शुरू करेगा।

(3) (i) जब लोको पायलट द्वारा कोई विशेष सतर्कता अथवा गति नियंत्रण पालन करने की आवश्यकता हो तो रेल–पथ निरीक्षक/स्टेशन मास्टर या अन्य अधिकृत रेल कर्मचारी संबंधित ब्लॉक सेक्शन के दोनों ओर स्थित बगल के स्टेशन के स्टेशन मास्टरों के अलावा अप और डाउन गाड़ियों के अंतिम रूकने वाले स्टेशनों, दोनों ओर के इंजन बदले जाने वाले शेड के एस.ई. लोको को इस सम्बन्ध में सूचना देगा।

(ii) गाड़ी के विभाजन की स्थिति में लोको पायलट और गार्ड का ध्यान चिल्लाकर अथवा दिन में हरी झन्डी तथा रात्रि में सफेद बत्ती यथा संभव ऊपर नीचे हिलाकर अवश्य आकर्षित करना चाहिए।

(iii) He shall resume normal running of train in consultation with the section Controller and the Station Master at the adjacent station after the wind velocity is again below the danger level as prescribed by special instructions.

(3) (i) In case of necessity of observing speed restriction or special precaution to be observed by the Loco Pilot of a train, the Permanent way inspector/Station Master or any other authorised Railway Official will intimate the last stopping station of all up and down trains and S.E.(Loco) of the nearest engine changing station on either side in this respect bridesmaid the Station Masters of the adjacent station on both sides of the block section.

(ii) In the event of train parting, the attention of the Loco Pilot and Guard must attracted by shouting or moving a Green flag by day, and white light by night up and down vertically as high and low as possible.